पत्र सं0–7/स्थापना व्यय–आवंटन–07/2023–65(7)ब/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,
संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/
पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

/स्वा0,राँची,दिनांकः 01-01-2026

विषयः स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 06–लोक स्वास्थ्य 001– निदेशन और प्रशासन 26– जन स्वास्थ्य संस्थान एवं अधीक्षण (आर0डी0डी0एच0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के व्यय हेतु कुल ₹ 61,77,500/– (इकसठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online विवरणी में अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	मांग संख्या–20/2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	06–लोक स्वास्थ्य	001–निदेशन और प्रशासन 26– जन स्वास्थ्य संस्थान एवं अधीक्षण (आर0डी0डी0एच0)	₹ 61,77,500/– (इकसठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाकिधारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (संलग्न विवरणी के अनुसार) होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होगें।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0पृ0उ0

Establishment Expenditure- 2025-26

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

8. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जाँच कर संतुष्ट हो ले कि बकाया राशि का निकासी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार की गई है।

9. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

13. सभी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कार्यालयों से संबंधित उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के **COBT – Form 3A** में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः **COBT – Form 3A** के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो **Form 3A** में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

14. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

i) संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह का वेतन विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतन की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि **Ghost Employee**/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

iii) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए।

15. विभागीय पत्रांक – 20(7) दिनांक 15.04.2025 के आलोक में स्थापना व्यय बजट अन्तर्गत सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित राशि को अपने अधीनस्थ संस्थानों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

65(7)ब
01-01-2026

विश्वासभाजन

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक–7/स्थापना व्यय–आवंटन–07/2023 – 65(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-01-2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–7/स्थापना व्यय–आवंटन–07/2023 – 65(7)ब /स्वा0,राँची,दिनांक– 01-01-2026

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	57233300	5407000	62640300
2	कार्यालय व्यय	419000	81000	500000
3	कार्यालय उपकरण	101000	125000	226000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	88000	112000	200000
5	दूरभाष	25000	20000	45000
6	वर्दी	20000	57500	77500
7	विद्युत व्यय	70000	75000	145000
8	मोटरगाड़ी ईधन एवं मरम्मति	300000	300000	600000
	कुल	**58256300**	**6177500**	**64433800**

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	वेतन	20S22100600126000101	5407000
2	कार्यालय व्यय	20S22100600126000315	81000
3	कार्यालय उपकरण	20S22100600126000317	125000
4	आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100600126000323	112000
5	दूरभाष	20S22100600126000333	20000
6	वर्दी	20S22100600126000334	57500
7	विद्युत व्यय	20S22100600126000337	75000
8	मोटरगाड़ी ईधन एवं मरम्मति	20S22100600126000442	300000
	कुल आवंटित राशि ₹ 61,77,500/– (इकसठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ)		**6177500**

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	कुल योग
1	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा० सेवाऐ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	0	0	0	0	0	6250	0	0	6250
2	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा० सेवाऐ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	600000	0	50000	30000	0	25000	0	0	705000
3	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा० सेवाऐ, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर	1451000	0	50000	0	0	0	75000	150000	1726000
4	जन स्वास्थ्य संस्थान, देवघर	500000	25000	0	30000	0	0	0	0	555000
5	जन स्वास्थ्य संस्थान, धनबाद	806000	10000	0	10000	0	6250	0	0	832250
6	जन स्वास्थ्य संस्थान, दुमका	1200000	20000	25000	10000	0	5000	0	0	1260000
7	जन स्वास्थ्य संस्थान, गिरिडीह	0	26000	0	32000	20000	0	0	150000	228000
8	जन स्वास्थ्य संस्थान, पाकुड	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000
9	जन स्वास्थ्य संस्थान, राँची	0	0	0	0	0	15000	0	0	15000
10	जन स्वास्थ्य संस्थान, साहेबगंज	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000
	कुल आवंटित राशि	**5407000**	**81000**	**125000**	**112000**	**20000**	**57500**	**75000**	**300000**	**6177500**

55(7)व
01-01-2026

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 06 - लोक स्वास्थ्य & 001 - निदेशन और प्रशासन & 26 - जन स्वास्थ्य संस्थान एवं अधीक्षण (आर०डी०डी०एच०)

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100600126000101 वेतन	20S22100600126000315 कार्यालय व्यय	20S22100600126000317 कार्यालय उपकरण	20S22100600126000323 आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100600126000333 दूरभाष	20S22100600126000334 वर्दी	20S22100600126000337 विद्युत व्यय	20S22100600126000442 मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Doranda	DRNMED046	Prabhat Kumar	Rddhs South Ch.Div.Ranchi	₹6,00,000.00 (80553)	₹0.00	₹50,000.00 (80567)	₹30,000.00 (80570)	₹0.00	₹25,000.00 (80577)	₹0.00	₹0.00	₹7,05,000.00
2	Palamu	PLMMED001	Santosh Kumar Srivastava	R.D.D.Health	₹14,51,000.00 (80555)	₹0.00	₹50,000.00 (80568)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹75,000.00 (80582)	₹1,50,000.00 (80583)	₹17,26,000.00
3	Deoghar	DGRMEDE30	Bachcha Prasad Singh	A.C.M.O. Deoghar	₹5,00,000.00 (80557)	₹25,000.00 (80563)	₹0.00	₹30,000.00 (80571)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹5,55,000.00
4	Dhanbad	DHNMED084	Alok Bishwakarma	A.C.M.O. Dhanbad	₹8,06,000.00 (80558)	₹10,000.00 (80564)	₹0.00	₹10,000.00 (80572)	₹0.00	₹6,250.00 (80578)	₹0.00	₹0.00	₹8,32,250.00
5	Dumka	DMKMED186	Mantu Kumar Tekriwal	A.C.M.O,Dumka	₹12,00,000.00 (80560)	₹20,000.00 (80565)	₹25,000.00 (80569)	₹10,000.00 (80573)	₹0.00	₹5,000.00 (80579)	₹0.00	₹0.00	₹12,60,000.00
6	Pakur	PKRMED021	Surendra Kumar Mishra	A.C.M.O.Pakur.	₹5,00,000.00 (80561)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹5,00,000.00
7	Sahebganj	SBJMED023	Ramdeo Paswan	Add.C.M.Officer Sahibganj	₹3,50,000.00 (80562)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹3,50,000.00
8	Giridih	GRDMED002	Shaikh Mohammad Zafarullah	Add. C.M.O. Giridih	₹0.00	₹26,000.00 (80566)	₹0.00	₹32,000.00 (80574)	₹20,000.00 (80575)	₹0.00	₹0.00	₹1,50,000.00 (80584)	₹2,28,000.00
9	Dumka	DMKMED084	Chandra Kishore Shahi	R.D.D. Health S.P. Dumka	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹6,250.00 (80576)	₹0.00	₹0.00	₹6,250.00
10	Ranchi	RNCMED053	Dr Amrendra Prasad	A.C.M.O.Ranchi	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹15,000.00 (80580)	₹0.00	₹0.00	₹15,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹61,77,500.00 (इकसठ लाख सित्योत्तर हजार पाँच सौ **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

65(7)ब
01-01-2026

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY